

सं. 797-ई/एनसीआर/एचआरएमएस/2019

PFA/NCR/PRYJ	Dy. CPO/CMLR/WS/ JHS
PCSC/NCR/PRYJ	Dy. CMM/GSD/JHS
CAO/C/NCR/PRYJ	XEN/CSP/PRYJ
DRM/ PRYJ, JHS, AGC	Principal/CETA/CNB
CWM/WS/ JHS, STLI	Dy. CE/TMC/L/JHS
CWM/CPOH/PRYJ	

विषय: Implementation of e-Pass Module of HRMS over NCR.

संदर्भ: 1. रेलवे बोर्ड का पत्र सं. PC-VII/2020/HRMS/6 दिनांक 14.08.2020

2. इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 17.08.2020

\*\*\*\*


रेलवे बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14.08.2020 द्वारा HRMS के ई-पास/पीटीओ मॉड्यूल हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। जिसके संदर्भ में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.08.2020 द्वारा ई-पास मॉड्यूल को दिनांक 24.08.2020 से लागू करने हेतु सूचित किया गया था।

उक्त के आलोक में सर्वसंबंधित को पुनः अवगत कराया जाता है कि ई-पास जारी करने हेतु रेलवे बोर्ड के संदर्भित पत्र में दी गई Guidelines अनुसार आवश्यक औपचारिकताएँ अतिशीघ्र पूर्ण करते हुये अधिकारियों/कर्मचारियों को ई-पास जारी किये जाय। तथा उक्त Guidelines को सर्वसंबंधित में प्रचारित भी किया जाय।

उक्त के संबंध में यह भी अवगत कराया जाता है कि दिनांक 31.10.2020 के बाद सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को केवल ई-पास ही जारी किया जाना अनिवार्य है। अतः उपरोक्त में अतिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उपरोक्त Guidelines उत्तर मध्य रेलवे की वेबसाइट पर निम्न लिंक पर देखी जाय।

<https://ncr.indianrailways.gov.in/> -About us -Departments – Personnel -HRMS

  
16.10.2020  
(अवधेश कुमार)  
मुख्य कार्मिक अधिकारी/आई.आर